सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

27th

नई दिल्ली, जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा जून, 2020 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सुरिन्द्रपाल सिंह

(सुरैन्द्र पाल सिंह)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-23092100

अग्रेषण पत्र,

1. केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, नई दिल्ली के सभी सचिव।
10. एमओएस(एफ) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (डीआईपीएएम) के प्रधान निजी।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, (श्री ए गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. डॉ. सी.एस. मोहपात्रा, अपर सचिव (एमएस एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री के राजारमन, अपर सचिव)प्रशासन और निवेश(, आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव)एफबी एंडएडीबी(, आर्थिक कार्य विभाग ।
16. सुश्री मीरा स्वरूप, एएस एंड एफए)वित्त(।
17. श्री ए एम बजाज, अपर सचिव (वित्त प्रबंधन), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।

19. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख। संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/संयुक्त सचिव (निवेश)/सलाहकार (सीएंडसी/एफएसएलआर/एफएसएंडसीएस)/सलाहकार (आईईआर)/सीएएए
20. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक)एमएंडसी(, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
21. गार्ड फाइल-2020।

सं. ए-45011/4/2020-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषय: जून, 2020 महीने के आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहत्त -आर्थिक सिंहावलोकन

महत्वपूर्ण सूचना का विवरण अनुबंध में तालिकाबद्ध रूप में दिया गया है।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में संशोधन: यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में हुए संशोधन दिनांक 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे और इसी आधार पर संपूर्ण भारत में प्रतिभूति बाजार उपकरणों के संबंध में स्टाम्प शुल्क के तार्किक एकत्रण तंत्र हेतु नियम बनाए गए हैं।

विनियमनकर्ताओं-आरबीआई और सेबी को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन परिपत्रों/प्रचालन दिशानिर्देशों को जारी करने का प्राधिकार दिया गया है ताकि दिनांक 1 जुलाई, 2020 से निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) जून, 2020 माह के दौरान सेबी द्वारा निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

क्र. सं.	एजेंसी का नाम	दिनांक	महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
(i)	सेबी	16.6.2020	सेबी ने लगातार दो क्यूआईपी मामलों के बीच न्यूनतम 6 माह के अंतराल की आवश्यकता में ढ़ील देने के लिए सेबी (पूंजी तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मामला), 2018 में संशोधन किया है।